इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 18 | अंक संख्या 3 | अक्तूबर, 2025 | पृष्ठों की संख्या - 09

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ.....2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ.....3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ.....4
पूंजी बाजार.....4
विनियामक के कथन.....4
आर्थिक संवेष्टन.....5
नयी नियुक्तियाँ.....5
विदेशी मुद्रा.....6
शब्दावली.....6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी.....7
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां.....7
संस्थान समाचार.....7
बाजार की खबरें.....8
नयी पहलकदमी.....9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 29 सितंबर-1 अक्तूबर 2025 को हुई बैठक की प्रमुख बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की बैठक 29 सितंबर-1 अक्तूबर 2025 को सम्पन्न हुई। बैठक की मुख्य बातें निम्न हैं:

- रेपों दर 5.50% पर अपरिवर्तित रखी गई है।
- स्थायी जमा सुविधा (SDF) दर 5.25% बनी रहेगी और सीमांत स्थायी सुविधा (MSF) दर तथा बैंक दर 5.75% बनी रहेगी।

विकास एवं विनियामक नीतियों पर वक्तव्य की मुख्य बातें

- निम्न से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाएगी और इनका विवेकीकरण किया जाएगा:
  - आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण तथा आय निर्धारण निदेश
  - व्यवसाय संबंधी फार्म तथा निवेशों हेतु विवेकपूर्ण विनियम
  - पूंजी बाजार एक्सपोजर दिशानिर्देश जिसमें भारतीय कंपनियों द्वारा अधिग्रहणों के बैंकों द्वारा वित्तपोषण हेतु अनुकूल ढांचे की व्यवस्था हो
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) द्वारा अवसंरचना हेतु वित्तपोषण पर जोखिम भार
  - संव्यवहार खातों हेतु मानदंड
  - बाहरी वाणिज्यिक उधार ढांचा
  - बेसिक बचत बैंक (BSBD) खाता
  - भारत में शाखा कार्यालय या संपर्क कार्यालय या परियोजना कार्यालय या व्यवसाय के किसी अन्य स्थल की स्थापना
- भारत स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्ती य सेवा केंद्रों (IFSC) में रखे गए विदेशी मुद्रा खातों के मामले में प्रत्यावर्तन की समयावधि का विस्तार।
- मर्चेंटिंग व्यापार संव्यवहार (MTT) के मामले में विदेशी मुद्रा आउटले हेतु अवधि बढ़ा कर छ: माह की जाएगी।
- कम मूल्य का निर्यात/आयात करने वालों के लिए अनुपालन अपेक्षाओं में ढील दी जाएगी।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (लघु वित्त बैंकों, भुगतान बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़ कर) हेतु ऋण जोखिम के मानकीकृत दृष्टिकोण पर संशोधित बासल ढांचे के कार्यान्वयन के संबंध में दिशानिर्देशों का मसौदा जारी करने का प्रस्ताव है।
- जमाराशि बीमा हेतु जोखिम आधारित प्रीमियम माडल लाया जाएगा।
- बड़े ऋणियों के लिए बाजार व्यवस्था के जरिए ऋण आपूर्ति बढ़ाने पर लागू दिशानिर्देश वापस ले लिए जाएंगे।
- नए शहरी सहकारी बैंको को लाइसेंस देने पर एक चर्चा पत्र जारी किया जाएगा।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के विनियम विभाग द्वारा नियंत्रित विनियामक अनुदेशों को 'जैसा है' आधार पर, मास्टर निदेशों के एक सेट में समन्वित किया जाएगा।
- आंतरिक लोकपाल व्यवस्था मजबूत की जाएगी तथा राज्य सहकारी बैंकों एवं जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों जो अब तक नाबार्ड के पास थे, को भारतीय रिज़र्व बैंक लोकपाल योजना के दायरे में लाया जाएगा।
- सीमापार व्यापारिक लेनदेन की सहूलियत हेतु, भारत स्थित अधिकृत डीलर बैंकों एवं उनकी ओवरसीज शाखाओं द्वारा भारत, नेपाल, श्रीलंका के निवासियों तथा इन देशों में स्थित एक बैंक को भारतीय रुपयों में कर्ज देने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।
- भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार देशों की चुनिन्दा मुद्राओं को एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संदर्भ दरों की सूची में शामिल किया जाएगा।

- विशेष रुपया वोस्त्रो खाता (SRVA) धारकों हेतु निवेश अवसरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव है।

ग्राहकों तथा बैंकों को लाभ पहुंचाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशों/परिपत्रों में 1 अक्तूबर 2025 से प्रभावी संशोधन जारी किए हैं:

अग्रिमों पर ब्याज दर: बैंक, अपने विवेक पर, पुनर्निर्धारण के समय, स्थिर दर में वापस जाने का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। वे, तीन वर्ष से पहले के ऋणियों के हित में, अन्य स्प्रेड घटकों को भी कम कर सकते हैं।

सोने तथा चांदी की संपार्श्विक प्रतिभूति पर ऋण: अपने विनिर्माण कार्य अथवा औद्योगिक प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में सोने का उपयोग करने वाले ऋणी कार्यशील पूंजी ऋण हासिल कर सकेंगे। वाणिज्यिक अनुसूचित बैंकों के अलावा टियर 3 व टियर 4 के शहरी सहकारी बैंकों द्वारा भी ये ऋण दिए जा सकते हैं।

बासल III पूंजी विनियम – शाश्वत ऋण लिखतें: भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित या विदेश में रुपए में मूल्यवर्गित बांड में शाश्वत ऋण लिखतों (PDI) के लिए पात्र सीमाओं को संशोधित किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उक्त संशोधनों के अलावा कुछ निदेश मसौदे के रूप में जारी किए हैं, जिनका वर्णन नीचे किया गया है:

स्वर्ण धातु ऋण योजना: प्रस्तावित है कि बैंक 270 दिनों तक की विस्तारित चुकौती अवधि की पेशकश कर सकते हैं तथा आभूषण उत्पादन आउटसोर्स करने वाले घरेलू गैर-विनिर्माताओं को ऋण प्रदान कर सकते हैं।

वृहद एक्सपोजर ढांचा (LEF) तथा आंतर-समूह संव्यवहार एवं एक्सपोजर (ITE): प्रस्तावित बदलावों में शामिल है कि भारत में परिचालन कर रहे बैंकों के लिए एक्सपोजर की गणना, जोखिम न्यूनीकरण तथा टियर-1 पूंजी हेतु संबद्धता की उच्चतम सीमा को शामिल कर विवेकपूर्ण मानदंड लाए जाएँ।

ऋण सूचना रिपोर्टिंग: अद्यतन ऋण जानकारी हासिल करने के लिए, ऋणदाता संस्थाओं (CIs) द्वारा ऋण सूचना कंपनियों (CIC) को साप्ताहिक रिपोर्टें प्रस्तुत करने को कहा जा सकता है। संशोधनों के मसौदे में आंकड़ों का तीव्रतर प्रेषण, ऋणदाता कंपनियों द्वारा गलतियों में सुधार करना तथा सेंट्रल नो योर कस्टमर (CKYC) संख्या कैप्चर हेतु उपाय करना भी अधिदेशित है।

अदावी जमाराशियों की मात्रा में कमी लाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रोत्साहन योजना की शुरुआत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक प्रोत्साहन योजना अपरिचालित खातों तथा अदावी जमाराशियों के त्वरित भुगतान के सुगमीकरण हेतु योजना (Scheme for Facilitating Accelerated Payout-Inoperative Accounts and Unclaimed Deposits) की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य बैंकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे ग्राहकों द्वारा अपने अपरिचालित खातों को फिर से सक्रिय करने तथा जमाकर्ता शिक्षा और जागरुकता (DEA) निधि में पड़ी अदावी राशि को इसके सही दावेदार को समय पर और तत्परता से वापस करने हेतु ग्राहकों/जमाकर्ताओं के साथ सक्रियता से कार्यवाही करें। योजना के अनुसार, बैंक विभेदक राशि पाने हेतु पात्र होंगे जो एक खाते के निष्क्रिय रहने की अवधि तथा खाते में मौजूद जमाराशि पर निर्भर करेगी। योजना 1 अक्तूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक चलेगी।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

भुगतान एग्रीगेटर के विनियमन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मास्टर निदेश जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भुगतान एग्रीगेटर (PAs) के विनियमन हेतु निदेश जारी किए हैं। भुगतान एग्रीगेटर के वर्गीकरण हैं: पीए-फिजिकल (संव्यवहार के समय भुगतान स्वीकारकर्ता मशीन तथा भुगतान लिखत भौतिक रूप से एक दूसरे के बिलकुल पास मौजूद होती हैं, पीए-क्रॉस बार्डर (सीमापार भुगतानों के लिए) तथा पीए-ऑनलाइन (जहां भुगतान स्वीकारकर्ता मशीन तथा भुगतान लिखत एक दूसरे के करीब नहीं मौजूद होती हैं)। भुगतान एग्रीगेटर का व्यवसाय करने हेतु बैंकों को अनुमति लेना आवश्यक नहीं होगा तथापि गैर-बैंक जो भुगतान एग्रीगेटर बनना चाहते हैं, के लिए पूंजी आवश्यकताओं का प्रावधान रखा गया है। निदेशों में एस्क्रो खातों और निधि प्रबंधन, क्रॉस-बार्डर सीमाओं तथा अभिशासन विषयक प्रावधान भी दिए गए हैं।

दिवंगत बैंक ग्राहकों के खातों के दावों के निपटान हेतु मानदंडों में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिवंगत ग्राहक के जमा खाते, सुरक्षित अभिरक्षा लॉकरों एवं सुरक्षित अभिरक्षा में रखी वस्तुओं से संबंधित दावों के निपटान हेतु मानकों को संशोधित कर दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कहा है कि वे ऐसे दावों का निपटान, दावे से जुड़े सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्राप्ति से 15 कैलेंडर दिनों के भीतर कर दें और यदि दावे के निपटान में देरी होती है तो नामितियों हेतु मुआवजा निर्धारित किया है। दावाकर्ता अपना दावा ऑनलाइन अथवा किसी शाखा में पावती के समक्ष दायर कर सकता है।

सहकारी बैंक अब नाबार्ड की शेयर्ड सर्विस संस्था (SSE) में निवेश कर सकते हैं

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सहकारी बैंकों तथा केंद्रीय सहकारी बैंकों को, शेयर्ड सर्विस संस्था (SSE) की नाबार्ड द्वारा जारी शेयर पूंजी में स्वैच्छिक आधार पर, अभिदान करने की अनुमति है। ये निवेश स्वाधिकृत पूंजी (चुकता शेयर पूंजी व रिज़र्व) के 5% से अधिक नहीं होंगे। तथापि ऐसा निवेश गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात (SLR) निवेशों पर विवेकपूर्ण सीमा से छूट प्राप्त होगा।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

चलनिधि प्रबंधन ढांचे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की है कि मौद्रिक नीति के परिचालन लक्ष्य के रूप में ओवरनाइट भारित औसत काल दर (WACR) को जारी रखा जाएगा। मौजूदा सीमीट्रिक कॉरीडोर प्रणाली को बरकरार रखा गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने चलनिधि के अल्पावधि/क्षणिक प्रबंधन हेतु मुख्य परिचालन के रुप में 14 दिवसीय परिवर्तनीय दर रेपो (VRR) तथा परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) को बंद कर दिया है। इसका प्रबंधन मुख्यत: 7 दिवसीय वीआरआर/वीआरआरआर तथा ओवरनाइट से लेकर 14 दिनो तक के टेनर के अन्य वीआरआर/वीआरआरआर परिचालनों के जरिए प्रणालीगत चलनिधि आवश्यकता के भारतीय रिज़र्व बैंक के आकलन के आधार पर इसके विवेक पर किया जाएगा। स्थायी चलनिधि के प्रबंधन हेतु ढांचे के तहत लिखतें अर्थात खुला बाजार परिचालन (OMOs), दीर्घावधि परिवर्तनीय दर रेपो/रिवर्स रेपो परिचालनों तथा फॉरेक्स स्वैप नीलामी, संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे का अंग बने रहेंगे।

डिजिटल भुगतान संव्यवहारों हेतु अधिप्रमाणन व्यवस्था पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निदेश जारी

डिजिटल संव्यवहारों को और अधिक सुरक्षित बनाने हेतु, भारतीय रिज़र्व बैंक ने जारीकर्ताओं के लिए अनिवार्य कर दिया है कि संव्यवहार से जुड़े संभावित जोखिम के आधार पर न्यूनतम द्वि-स्तरीय अधिप्रमाणन से बढ़ कर अतिरिक्त जांच भी अपनाएं। कार्ड की मौजूदगी में किए जाने वाले संव्यवहारों को छोड़कर, अन्य डिजिटल भुगतान संव्यहारों में अधिप्रमाणन का कम से कम एक स्तर तुरंत (dynamically) निर्मित या सिद्ध किया होना चाहिए। यद्यपि ये निदेश केवल घरेलू संव्यवहारों हेतु लागू हैं, कार्ड की मौजूदगी के बगैर सभी सीमापार संव्यवहारों के संचालन हेतु भी एक जोखिम आधारित प्रणाली, कार्ड जारीकर्ताओं द्वारा 1 अक्तूबर 2026 तक लागू कर दी जाएगी।

एकल प्राथमिक डीलरों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा रुपया गैर-सुपुर्दगीय डेरिवेटिव संविदाओं (NDDCs) में व्यापार की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जोखिम प्रबंधन तथा अंतर-बैंक सौदों पर मास्टर निदेश संशोधित किए हैं ताकि एकल प्राथमिक डीलरों (SPDs) को भारतीय रुपए वाले गैर-सुपुर्दगीय डेरिवेटिव संविदाओं (NDDCs) में व्यापार की अनुमति दी जा सके। संशोधित मानदंडों के अनुसार, अधिकृत डीलर श्रेणी III (AD Cat-III) के रूप में अधिकृत एकल प्राथमिक डीलर रुपए वाली गैर-सुपुर्दगीय डेरिवेटिव संविदाओं में सौदा करने तथा निवासियों और अनिवासियों दोनों को गैर-सुपुर्दगीय डेरिवेटिव संविदाओं की पेशकश करने हेतु पात्र होंगे।

पूंजी बाजार

निवेश करने में आसानी: नामिती से विधिक उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियाँ अंतरित करने हेतु मानदंडों में सेबी द्वारा संशोधन

नामिती से विधिक उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियाँ अंतरित करने की प्रक्रिया को सुगम बनाने तथा कराधान संबंधी मुद्दों के समाधान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि नामिती से विधिक उत्तराधिकारी को प्रतिभूतियाँ अंतरित करने को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को रिपोर्ट करते समय ट्रांसमिशन टू लीगल हेयर्स (TLH) नामक मानक रीजन कोड का प्रयोग किया जाएगा।

सूचकांक आप्शन में इंट्राडे स्थिति पर निगरानी हेतु सेबी द्वारा नवीन ढांचा जारी

सूचकांक आप्शन हेतु इंट्राडे निगरानी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु, सूचकांक आप्शन के लिए पोजिशन लिमिट की उच्चतम सीमा निर्धारित की गई है। बाजार स्थिरता सुनिश्चित करने हेतु, सूचकांक आप्शन के लिए संस्था के स्तर पर इंट्राडे निगरानी ढांचे को लागू किया जाएगा जो चलनिधि प्रदाताओं/मार्केट मेकर्स सहित बाजार में विभिन्न भागीदारों द्वारा भाग लेने की सुविधा के साथ होगा। सीमाओं का उल्लंघन करने वाली संस्थाओं द्वारा ट्रेडिंग की प्रवृति पर स्टॉक एक्सचेंज निगरानी रखा करेंगे।

विनियामक के कथन

सार्वजनिक क्षेत्र बैंक वट वृक्ष की तरह हैं, उनका कार्य छाया प्रदान करना तथा विकास को बढ़ावा देना है: श्री स्वामीनाथन जे., उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

पीएसबी मंथन 2025 में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री स्वामीनाथन जे. ने कहा कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की सही तुलना वट वृक्ष से की जा सकती है। उनका कहना था कि आज के सार्वजनिक क्षेत्र बैंक लाखों परिवारों तथा उद्यमों को केवल छाया तथा आश्रय देने के लिए ही उत्तरदायी नहीं हैं बल्कि उन्हें यह भी सुनिश्चित करना है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs), स्टार्ट अप्स, महिला उद्यमियों तथा ग्रामीण उद्यमों को भरपूर और किफ़ायती ऋण के रूप में इन बैंकों की छत्रछाया तले नया विकास फूले फले।

भारत के वित्तीय भविष्य के लिए कृत्रिम मेधा (AI) का अत्यधिक महत्व है: श्री एम. राजेश्वर राव, उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

सीएनबीसी-टीवी 18 बैंकिंग ट्रांसफार्मेशन समिट के तीसरे संस्करण में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एम. राजेश्वर राव ने कहा कि बैंक यद्यपि कृत्रिम मेधा का उपयोग ऋण देने के कुछ क्षेत्रों में कर रहे हैं, ऋण जीवनचक्र के अन्य क्षेत्रों यथा ऋण समावेशन, टर्नअराउंड समय कम करने, ऋण मूल्यांकन, व्यक्तिपरक ऋण सुविधा, पूर्व चेतावनी संकेतक एवं प्रावधानीकरण, दस्तावेज़ प्रबंधन, ग्राहक सहायता एवं शिकायत समाधान, ऋण चुकौती, धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन और साइबर सुरक्षा में इसका उपयोग करने के अवसर मौजूद हैं। वित्तीय क्षेत्र के लिए कृत्रिम मेधा को दूरदर्शिता के साथ अपनाना अनिवार्य है जिसमें केवल नवोन्मेष में निवेश न किया जाए बल्कि सुदृढ़ अभिशासन ढांचा निर्मित कर, निर्भरताओं में विविधता लाकर, उभरते जोखिमों का निरंतर आकलन जारी रख कर तथा यह सुनिश्चित कर कि इसकी कृत्रिम मेधा रणनीतियाँ वित्तीय प्रणाली की दीर्घकालिक सुरक्षा तथा संधारणीयता से जुड़ी हों, इसमें आघात सह्यता भी निर्मित की जाए।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा जारी मासिक समीक्षा, अगस्त 2025 की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- वास्तविक जीडीपी में वर्षानुवर्ष 7.8% की वृद्धि जो अधिकांश अनुमानों से ज्यादा है, के साथ वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति में और तेजी आई है।
- जून 2025 के आखिर में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया ऋण में वर्षानुवर्ष वृद्धि जून 2024 के आखिर में दर्ज 13.9% से गिर कर 10.4% हो गई। यह जानना महत्वपूर्ण है कि बैंक ऋण उपलब्धता में यह कमी इसी अवधि के दौरान वाणिज्यिक क्षेत्र को वित्तीय संसाधनों के समग्र प्रवाह में वृद्धि के साथ मेल खाती है।
- अगस्त 2025 में भारत के कुल निर्यातों (वस्तु तथा सेवा) में 9.3% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई जो मुख्यत: सेवा निर्यातों में 12.2% (वर्षानुवर्ष) की वृद्धि के कारण है।
- वित्तवर्ष 26 की पहली तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा वित्तवर्ष 25 की पहली तिमाही में जीडीपी के 0.9% से घट कर जीडीपी के 0.2% पर आ गया।
- पुनर्बीमा सहित सभी व्यैक्तिक जीवन तथा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी से छूट दी गई है।
- जीएसटी तथा कॉर्पोरेट कर संग्रह में क्रमश: 9.8% और 7.6% की वृद्धि हुई है।
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बैंक ऋणों में जून 2024 में 11.5% की वृद्धि की तुलना में जून 2025 में वर्षानुवर्ष 17.4% की वृद्धि हुई।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री शिरीष चन्द्र मुर्मू	उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्री आशीष कुमार पाण्डे	प्रबंध निदेशक और सीईओ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
श्री कल्याण कुमार	प्रबंध निदेशक और सीईओ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार		
मद	यथा 26 सितंबर, 2025	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	6211881	700236
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5160999	581757
1.2 स्वर्ण	842935	95017
1.3 एसडीआर	166683	18789
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	41264	4673

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार (मिलियन अमरीकी डॉलर) में प्रवृत्तियाँ

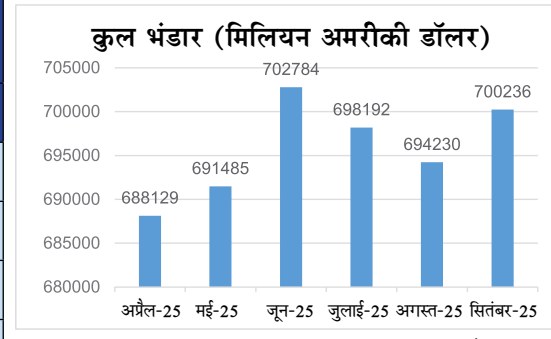

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

30 सितंबर 2025 की स्थिति अनुसार एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARR) की आधार दरें, अक्तूबर 2025 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	4.16
SONIA (जीबीपी)	3.9669
STR (यूरो)	1.926
TONA (जापानी येन)	0.476
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.5600
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	3.60
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.036879

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	3.0
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.916
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.3180
HONIA (हांगकांग डॉलर)	3.69165
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.5350

स्रोत: www.fbil.org.in

शब्दावली

परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो

परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (VRRR) बैंकिंग प्रणाली से अतिरिक्त चलनिधि को नीलामियों के ज़रिए अवशोषित करने का भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रयुक्त एक साधन है जिसमें बैंक, भारतीय रिज़र्व बैंक को अल्पावधि हेतु कर्ज देते हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बेबी बांड

एक बेबी बांड नियत आय प्रतिभूति होती है जिसे $1,000 से कम सम मूल्य के कम डालर के मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है। कम मूल्य वर्ग के ये बांड साधारण निवेशकों जिनके पास परंपरागत बांड में निवेश करने हेतु बड़ी राशि न हो, को आकर्षित करने के लिए होते हैं।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

अक्तूबर 2025 माह में आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान
बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय संस्थानों के आंतरिक लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम	13-14 अक्तूबर, 2025	वर्चुअल
बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय संस्थानों हेतु सूक्ष्म व लघु उद्यमों को कर्ज देने पर कार्यक्रम	14-15 अक्तूबर, 2025	
आईटी और साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	15-16 अक्तूबर, 2025	
दिवाला और शोधन अक्षमता कोड 2016 के जरिए तनावग्रस्त आस्तियों के समाधान पर कार्यक्रम	15-17 अक्तूबर, 2025	
विदेशी मुद्रा परिचालनों पर कार्यक्रम	23-24 अक्तूबर, 2025	
बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय संस्थानों हेतु साइबर जोखिम प्रबंधन एवं आईटी सुरक्षा पर कार्यक्रम	23-24 अक्तूबर, 2025	
बैंकों, एनबीएफसी तथा वित्तीय संस्थानों हेतु केवाईसी/एएम एल/व साइबर सुरक्षा पर कार्यक्रम	28-29 अक्तूबर, 2025	
कारगर शाखा प्रबंधन पर कार्यक्रम	28-30 अक्तूबर, 2025	

संस्थान समाचार

98वीं वार्षिक आम बैठक

आईआईबीएफ के सदस्यों की 98वीं वार्षिक आम बैठक दोतरफा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए 18 सितंबर 2025 को प्रात: 11.30 बजे आयोजित की गई।

आईआईबीएफ की 'लीडर्स स्पीक शृंखला'

तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री साली एस. नायर ने उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम के बैच XIV को आईआईबीएफ की 27 सितंबर 2025 को आयोजित 'लीडर्स स्पीक शृंखला' के तहत संबोधित किया।

आईआईबीएफ की केस स्टडी लेखन प्रतियोगिता – 2025

बैंकरों/वित्तीय पेशेवरों को अपना ज्ञान और अनुभव, केस तैयार कर अध्यापन नोट के साथ साझा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आईआईबीएफ ने केस स्टडी प्रतियोगिता की घोषणा की है। केस स्टडी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.11.2025 है। अधिक विवरण www.iibf.org.in पर हैं।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय

अक्तूबर-दिसंबर 2025 तिमाही के लिए बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'बैंकिंग में उभरती प्रौद्योगिकियाँ'। उप-विषय हैं- जेनरेटिव कृत्रिम मेधा के अनुप्रयोग, नैतिक कृत्रिम मेधा, धोखाधड़ी की पहचान तथा पूर्व चेतावनी संकेतक, परियोजना मूल्यांकन और ऋण मूल्यांकन हेतु प्रौद्योगिकियाँ।

परीक्षाओं हेतु दिशानिर्देशों/महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए कट-ऑफ तिथि

संस्थान ने प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछने की प्रथा बना रखी है। इन मुद्दों के लिए निर्णय लिया गया है कि: (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में मार्च से अगस्त माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 31 दिसंबर तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष में सितंबर से फरवरी माह की अवधि में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु, प्रश्नपत्र में, केवल 30 जून तक विनियामक(कों) द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं बैंकिंग व वित्त जगत में महत्वपूर्ण घटनाओं को शामिल किया जाएगा।

बाजार की खबरें

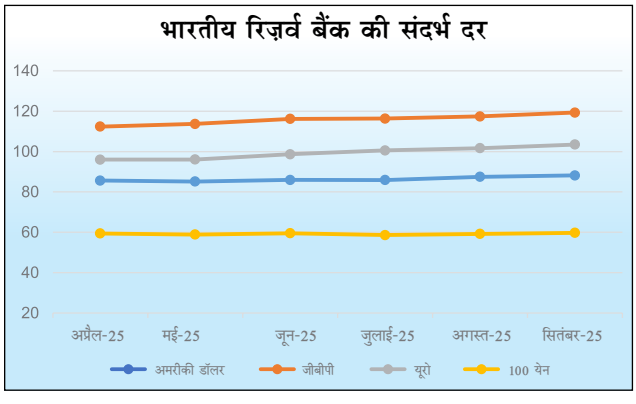

स्रोत: एफबीआईएल

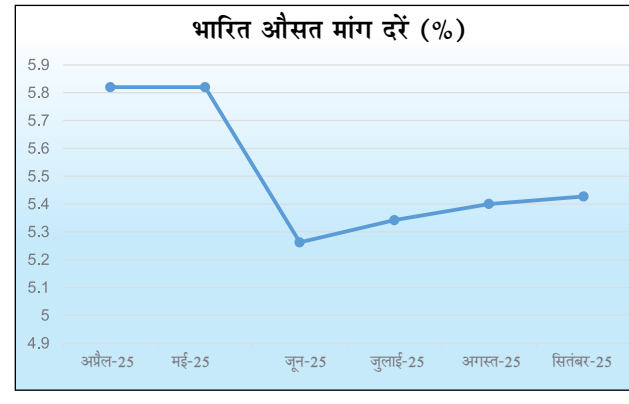

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

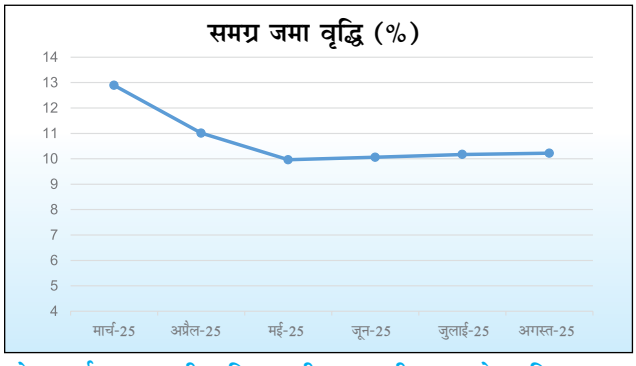

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितंबर 2025

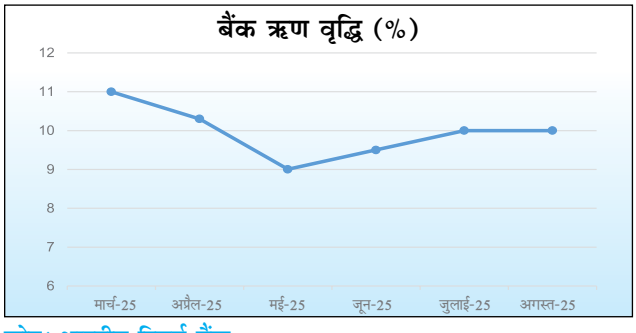

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

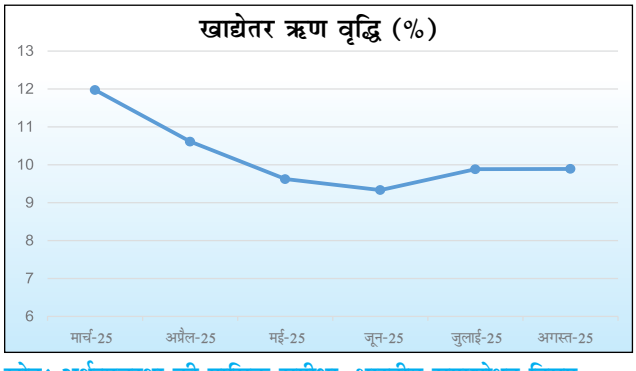

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, सितंबर 2025

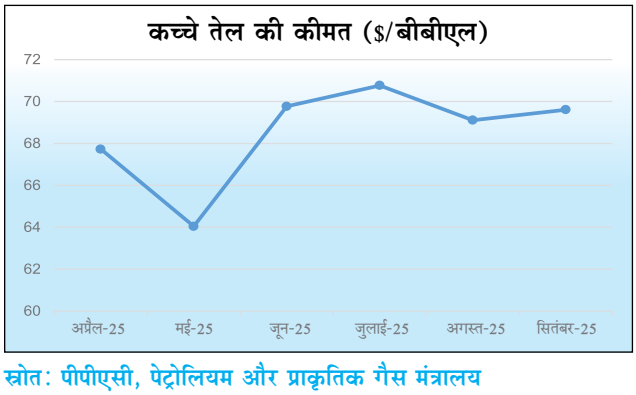

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

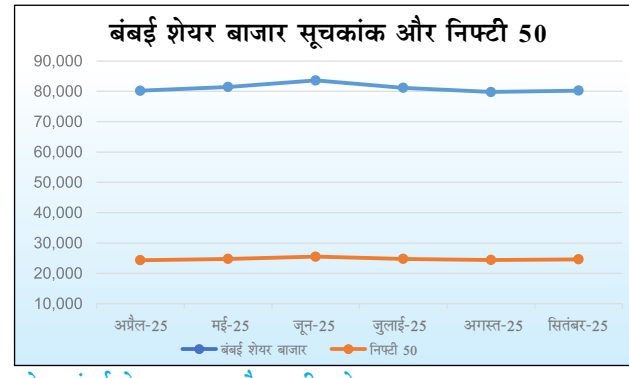

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

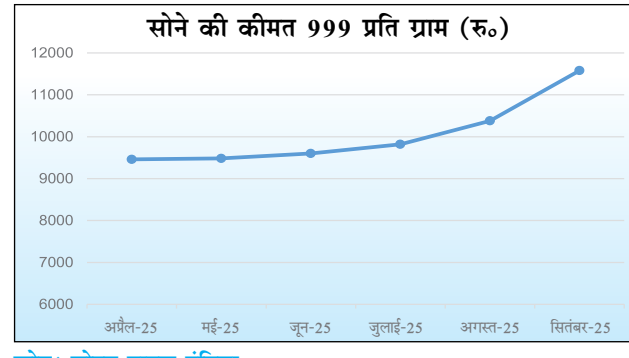

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान को दिया गया अपना ई–मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक प्रतिवेदन ई–मेल से पाने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

Printed by Biswa Ketan Das, **Published by** Biswa Ketan Das, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Onlooker Press 16, Sasoon Dock, Colaba, Mumbai - 400 005 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Biswa Ketan Das

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 91-22-6850 7000
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in